रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 630] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 8, 2016/भाद्र 17, 1938
No. 630] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2016/BHADRA 17, 1938

indiacode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 868(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 316(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2015 और सा.का.नि. 335 (अ) तारीख 23 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 23 अप्रैल, 2015 और 23 मार्च, 2016 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अत:, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान (नवां संशोधन) नियम 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम,1989, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में खंड (य) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (य़) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे,अर्थात्:-

'(यक) "**मोटर कारवां**" से विशेष प्रयोजन के लिए रहने का वास–सुविधाएं सम्मिलित करने की लिए निर्मित एम श्रेणी का यान अभिप्रेत है जिसमें कम से कम निम्नलिखित उपस्कर अन्तर्विष्ट होगें ।

(i) सीटें और टेबल ;

(ii) सोने की वास-सुविधा जो सीटों से संपरिवर्तित की जा सकती है ;

(iii) खाना पकाने की सुविधाएं ; और

(iv) भण्डारण सुविधाएं,

जो रहने के कक्ष के साथ दृढ़ता से जुड़ी होंगी :

परंतु टेबल सहज स्थानान्तरणीय होने के लिए परिकल्पित हो सकेगी ।

(यख) "**सड़क रोगी-वाहन**" सड़क रोगी-वाहन विशेष रुप से सज्जित और श्रम दक्षता की दृष्टि से परिकल्पित यान है जो बीमार या क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के परिवहन या आपात उपचार के लिए और जब समुचित रुप से इसमें कर्मचारिवृंद हो उसके अभिहित देखभाल स्तर के अनुरूप परिवहन के दौरान या जब वह खड़ा हो अस्पताल चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए सक्षम हो ।

(यग) "**विद्यालय बस**" से विद्यालय जाने वाले बालकों के लिए विशेष रुप से परिकल्पित और विनिर्मित ऐसा यान अभिप्रेत है जिसमें चालक को छोड़कर 13 यात्री और अधिक के बैठने की क्षमता हो;

(यघ) "**विशेष प्रयोजन यान (एस पी वी)**" से श्रेणी एल [केवल एआईएस-125(भाग 1)-2014 के अनुपालन में सड़क रोगी-वाहन की दशा में], एन या टी का ऐसा यान अभिप्रेत है जो, कृत्यों जिसमें विशेष इंतजाम और/या उपस्कर अपेक्षित है, का पालन करने के लिए विनिर्दिष्ट तकनीकी विशिष्टताएं रखता हो ।'।

3. उक्त नियमों के नियम 108 में, 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात्, उप-नियम (1) के परंतुक के, खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) रोगियों के वहन हेतु उपयोग के लिए किसी रोगी-वाहन में फिट किए गए बैंगनी शीशे सहित ब्लिंकर टाइप की लाल बत्ती या एआईएस-125 (भाग-1)-2014 के उपाबंध -1 के अनुसरण में सड़क रोगी-वाहन पर लगे हुए चेतावनी दीप;" ।

4. उक्त नियमों के, नियम 108 में, उप-नियम(6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(7) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बी आई एस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक, 1 अप्रैल 2018 को और उसके पश्चात् सड़क रोगी-वाहन पर लगी हुई ऊपर की बत्तियां (चेतावनी दीप) इसमें विनिर्दिष्ट सभी प्रकार के रोगी-वाहन के लिए, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस:125 (भाग 1)-2014 के अनुसरण में होगी ।

5. उक्त नियमों के नियम 119 में, 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पश्चात्, उपनियम (3) में निम्नलिखित पंरतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

परंतु सड़क रोगी वाहनों के सायरनों के लिए अपेक्षाएं, जब तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं, तब तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस:125 (भाग 1)-2014 के अनुसार होंगी ।"।

6. उक्त नियमों, में, नियम 125-ड. के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"125च- एल और एम श्रेणियों के यानों के सड़क रोगी-वाहनों का प्रकार अनुमोदन ।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी भी बी.आई एस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक, 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एम और एस श्रेणियों के सड़क रोगी-वाहन, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस:125(भाग 1) 2014 के अनुसरण में होंगे ।"

125-छ विशेष प्रयोजन यानों के लिए प्रकार अनुमोदन.- (1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी भी आई एस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक, 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पश्चात् विर्निमित मोटर कारवां समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-124 :2014 में कथित अपेक्षाओं के अनुपालन में होंगे ।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक उक्त मानकों के खंड 0.0 (ख) के अधीन यथा अनुज्ञात विद्यमान यानों पर बनाये गए मोटर कारवां भी समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-124:2014 के अनुपालन में होंगे ।

7. उक्त नियमों के, प्रारुप 22-क में,-

(i) अंकों और अक्षरों "125ग" के स्थान पर अंक और अक्षर "125च, 125छ" अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) भाग-2 में, -

(क) मद 4 और 5 के स्थान पर निम्निलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"*4 बस बॉडी निर्माणकर्ता प्रत्यायन प्रमाणपत्र संख्यांक..... तारीख..... तारीख तक विधिमान्य होगा ।

5. अनुमोदित परीक्षण अभिकरण द्वारा जारी यान बॉडी निर्माण (बस सड़क रोगी-वाहन मोटर कारवां आदि) प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र संख्यांक.....तारीख।"।

(ख) टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पण:- भाग II, 1 अक्तूबर, 2014 को या उसके पश्चात् विनिर्मित बसों के नए मॉडल को और 1 अक्तूबर, 2016 को और उसके पश्चात् विनिर्मित बसों के विद्यमान मॉडलों को और क्रमश: एआईएस 125 (भाग1):2014 और एआईएस 124(भाग1):2014 के लागू होने की तारीख से विनिर्मित सड़क रोगी-वाहनों और मोटर कारवां की दशा में लागू होगा "

[सं. आरटी-11028/10/2013-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **II**, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 682 (अ) तारीख 12.07.2016 द्वारा उनका अन्तिम संशोधन किया गया ।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2016

G.S.R. 868(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) vide notifications of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 316(E), dated the 23rd April,2015 and number G.S.R. 335(E), dated the 23rd March, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notifications were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notifications were made available to the public on the 23rd April, 2015 and the 23rd March, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Ninth Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, (hereinafter referred to as the said rules) in rule 2, after clause (z), the following clauses shall be inserted, namely:-

'(za) **"Motor Caravan"** means a special purpose category M vehicle constructed to include living accommodation which contains at least the following equipment:-

(i) seats and table;

(ii) sleeping accommodation which may be converted from the seats;

(iii) cooking facilities; and

(iv) storage facilities,

which shall be rigidly fixed to the living compartment:

Provided that the table may be designed to be easily removable;

(zb) "**Road Ambulance**" means a specially equipped and ergonomically designed vehicle for transportation and/ or emergent treatment of sick or injured people and capable of providing out of hospital medical care during transit or when stationary, commensurate with its designated level of care when appropriately staffed;

(zc) **"School Bus"** means a vehicle with a seating capacity of thirteen passengers and above excluding driver designed and constructed specially for school going children;

(zd) **"Special Purpose Vehicle (SPV)"** means a vehicle of category L [only in case of Road Ambulance complying to AIS-125 (Part1)-2014], M, N or T having specific technical features in order to perform a function which requires special arrangements and / or equipment.'.

3. In rule 108 of the said rules, on and after the 1st April, 2018, in sub-rule (1), in the proviso, for clause (iv), following clause shall be substituted namely:-

"(iv) the blinker type of red light with purple glass fitted to an ambulance van used for carrying patients or the warning lamps fitted on Road Ambulance in accordance with Annexure-1 of AIS-125 (Part-1)-2014; ".

4. In rule 108 of the said rules, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

IndiaCode

"(7) On and after the 1st April, 2018, the top lights (warning lamps) fitted on Road Ambulances shall be in accordance with AIS:125 (Part1)– 2014, as amended from time to time, for all types of ambulances specified therein, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).".

5. In rule 119 of the said rules, on and after 1st April, 2018, in sub-rule (3), following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that requirements for sirens of Road Ambulances shall be in accordance with AIS:125 (Part 1)-2014, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).".

6. In the said rules, after rule 125-E, the following rules shall be inserted, namely:-

"125F- Type Approval of Road Ambulances of Vehicle categories L and M. - Road Ambulances of categories L and M manufactured on and after the 1st April, 2018, shall be in accordance with AIS: 125 (Part1)–2014 as amended from time to time, for all types of ambulances specified therein, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

125-G Type Approval of Special Purpose Vehicles.- (1) The Motor Caravans manufactured on and after the 1st April, 2018, shall comply with the requirements stated in AIS-124:2014, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

(2) The Motor Caravans built on the existing vehicles as permitted under the clause 0.0 (b) of the said standard shall also comply with AIS-124:2014, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).".

7. In Form 22-A of the said rules,-

(i) after figures and letter "125C", the figures and letters "125F, 125G"shall be inserted;

(ii) in PART-II,-

(a) For items 4 and 5, the following shall be substituted, namely:-

"*4. Bus Body Builder Accreditation Certificate Number _____Date _____ valid up to date _____.

5. Vehicle Body construction (Bus/Road Ambulance/ Motor Caravan /etc.) Type Approval Certificate Number _____Date _____ issued by the approved Test Agency."

(b) for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-

"**Note:-** Part II shall be applicable for new model of buses manufactured on or after the 1st October, 2014 and for the existing models of buses manufactured on and after 1st October, 2016 and in case of Road Ambulances and Motor Caravans manufactured from the date of applicability of AIS-125 (Part 1): 2014 and AIS-124: 2014 respectively.".

[F. No. RT-11028/10/2013-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* G.S.R. 682(E) dated 12.07.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.09.12 11:10:00 +05'30'